म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/IEC/2023/1914 भोपाल, दिनांक 15.12.2023

प्रति,

01. संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, (समस्त)
02. कार्यपालन यंत्री
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी कार्यालय, (समस्त)
03. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषय :- प्रदेश में " <u>विकसित भारत संकल्प यात्रा</u> " के आयोजन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- म.प्र.शासन सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ 19-54/2023/1/4 दिनांक 08.12.2023।

संदर्भित अनुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का राज्य सरकार की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले, तहसील, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक IEC van के माध्यम से कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्न)

। समस्त आंचलिक अधिकारी, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग, सचिव कृषि उपज मंडी यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन द्वारा संदर्भित ज्ञाप में उल्लेखित अनुसार निर्धारित कार्यक्रम स्थल में सम्बंधित क्षेत्र की कृषि उपज मंडी सम्मलित होने पर, उक्त स्थल पर योजनाओं का लक्षित हितग्राहियों तक जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु उपयुक्त कार्यक्रम आयोजन में प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्तानुसार प्रदेश में " <u>विकसित भारत संकल्प यात्रा</u> " के सम्बन्ध में मंडियों में किये गए प्रदर्शन और आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी मय फोटोग्राफ तत्समय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

15/12/23

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/IEC/2023/1915 भोपाल, दिनांक 15.12.2023

प्रतिलिपि :-

01. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

02. निज सहायक प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,मुख्यालय भोपाल।

03. अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,मुख्यालय भोपाल।

04. संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ सहायक संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, की ओर प्रेषित कर लेख है की अपने विषय से सम्बंधित योजनाओ के प्रचार प्रसार के लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुचे तथा कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हो के लिए निरंतर फोलोअप कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

05. अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, की ओर प्रेषित कर लेख है की अपने विषय से सम्बंधित योजनाओ के प्रचार प्रसार के लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुचे तथा कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हो के लिए निरंतर फोलोअप कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

06. समन्वय शाखा उपरोक्तानुसार समन्वय हेतु।।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 19- 54/2023/1/4 **भोपाल, दिनांक 08/12/2023**

प्रति,

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल

2 समस्त संभागायुक्त /कलेक्टर्स
मध्य प्रदेश

3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश ।

विषय :- प्रदेश में "विकसित भारत सकल्प यात्रा" के आयोजन के संबंध में ।

----

1. प्रस्तावना

भारत सरकार एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की सुविधाएँ, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ पेयजल सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं/मिशन के माध्यम से संतृप्ति के लिए सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक सेवाएँ सुलभ बनाना आवश्यक है। इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना होगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुँच को सुगम बनाये जाने के उदेश्य से **"विकसित भारत संकल्प यात्रा"** नाम से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है।

2. उद्देश्य

विकसित भारत संकल्प यात्रा के उदेश्य इस प्रकार हैं:-

(i) **वंचित व्यक्ति तक पहुँचना** (Reaching the unreached) –शासन यह सुनिश्चित कराये कि **प्रमुख योजनाओं का लाभ, लक्षित लाभार्थियों, खास तौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।**

(ii) **सूचना प्रसार** (Dissemination of information)- जन सामान्य में योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं जागरूकता पैदा करना। वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना।

(iii) **नागरिकों से सीखना** (Learning from the citizens) - लाभार्थियों के व्यक्तिगत **कहानियों/अनुभव साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी** एकत्रित करना।

(iv) संभावित लाभार्थियों का नामांकन/चयन (Enrolment of potential beneficiaries) - यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदन/जानकारी के आधार पर संभावित लाभार्थियों का नामांकन/चयन करना।

3. यात्रा कार्यक्रम का स्वरूप

(i) **यात्रा की समयावधि -** प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जावेगी। **"विकसित भारत संकल्प यात्रा"** के प्रारम्भ होने की तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी।

(ii) आई. ई. सी. वेन- भारत सरकार द्वारा इस यात्रा हेतु सभी जिलों को आई.ई.सी. वेन उपलब्ध करायी जावेगी। इन आईईसी वैनों को सभी नगरीय निकाय (ULB) एवं ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और प्रत्येक निकाय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आई.ई.सी. वेन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड, ब्रोशर पम्पलेट, बुकलेट आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार प्रसार किया जावेगा। जिले को प्रदाय की जा रही आईईसी वेन की संख्या की जानकारी परिशिष्ट - एक पर है।

4. यात्रा का रूट चार्ट एवं कार्यक्रम

(i) जिले को आवंटित आईईसी वैन की संख्या के आधार पर जिले का रूट चार्ट इस तरह तैयार किया जाए कि आईईसी वैन प्रत्येक पंचायत का भ्रमण करे। एक वेन के माध्यम से प्रति सप्ताह कम से कम 14 कार्यक्रम आयोजित किये जावें। प्रति पंचायत एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

प्रत्येक वाहन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जावे। यात्रा अवधि को दृष्टिगत तिथिवार वाहन नोडल अधिकारी भी बनाये जा सकेगे।

(ii) नगरीय शहरी क्षेत्र में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जावे जिसमें पिछडी/कम आय वर्ग (Slums area) एवं सघन शहरी बस्तियों को प्राथमिकता दी जावे। बडे नगरीय क्षेत्रों में एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं ।

प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पृथक से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे।

(iii) स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजन के एक सप्ताह पूर्व से व्यापक प्रचार प्रसार एवं कार्यक्रम आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जावे।

(iv) जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे। माननीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता अनिवार्यरूप से कराई जावे । प्रयास यह होना चाहिए की कम से कम 5 प्रतिशत जनता की भागीदारी इन कार्यक्रमों में अवश्य हो ।

(v) आई.ई.सी. वेन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पूर्व संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, हितग्राहियों के आवेदन, हितग्राही चयन, आवेदनों का निराकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(vi) आई.ई.सी. वेन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर निम्नानुसार क्रम में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

a) स्वागत
b) माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश
c) संकल्प-विडियों विकसित भारत का प्रदर्शन
d) फिल्म का प्रदर्शन
e) मेरी कहानी मेरी जुबानी-लाभार्थियों के व्यक्तिगत कहानियों उल्लेख अनुभव साझा करने के माध्यम से शासकीय योजनाओं का प्रसार-प्रसार।

08.xii.23

f) तकनीकी सत्र-ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, स्वाइल हेल्थ कार्ड, उन्नत तकनीक आदि की जानकारी।

g) सांस्कृतिक कार्यक्रम-"धरती कहे पुकार के" स्वच्छता गीत, एस एच जी/एफ पी ओ/स्कूल छात्र/स्थानीय कालाकरों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

h) कार्यक्रम स्थल पर प्रश्नोत्तरी- विजेताओं को पुरस्कार/सम्मान

i) सम्मान एवं हितग्राही लाभ वितरण-विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले महिला एवं पुरूष का सम्मान/योजनांतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण।

(vii) कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, जिसमें सामान्य जाँच सुविधा उपलब्ध हो।

(viii) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों के आवेदन भी कार्यक्रम स्थल पर लिए जाने हैं, इस हेतु स्थानीय गैस कंपनियों से समन्वय किया जाए।

(ix) ऐसे किसान/पशुपालक/मछुआरे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके आवेदन लेने की कार्यवाही की जाए, इस हेतु बैंकों से समन्वय किया जाए।

(x) आधार कार्ड में जानकारी Updation के लिए भी शिविर इस कार्यक्रम के दौरान लगाया जा सकता है।

(xi) जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति अन्य ऐसी कोई सुविधा जिला विशेष की परिस्थितियों को देखकर कर सकते हैं, जो ऐसे कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को उपलब्ध हो।

(xii) आईटी पोर्टल एवं ऐप- भारत सरकार द्वारा यात्रा की प्रगति के लिए एक आईटी पोर्टल और एक ऐप विकसित किया गया है, जिस पर प्रतिदिन कार्यक्रम सम्पन्न हाने के उपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा आई.टी.पोर्टल/एप पर यात्रा से संबंधित दैनिक प्रगति, फोटो, विडियों आदि को अपलोड अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

5. क्रियान्वयन

(i) केन्द्र एवं राज्य स्तर की व्यवस्थाएँ

a. केन्द्रीय स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नोडल विभाग बनाया गया है एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरीय प्रशासन विभाग एवं सूचना एवं प्रसारण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

b. राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों के लिये नगरीय प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

c. राज्य स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

d. जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नोडल अधिकारी होंगें।

e. नगरीय निकाय हेतु संबंधित निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

08.xii.23

(ii) जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति :

1. कलेक्टर	- अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	- सदस्य सचिव
3. विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी	- सदस्य
4. भारत सरकार के अधीन संस्था/विभाग के 2 नामित सदस्य	- सदस्य
5. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (समस्त)	- सदस्य
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)	- सदस्य
7. कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य सदस्य	- सदस्य

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा सम्पूर्ण जिले के लिए आई.ई.सी वेन का तिथिवार पंचायतवार रूटचार्ट एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया जावेगा। विकासखण्ड स्तरीय, नगरीय निकाय समिति, ग्राम पंचायत समिति से समन्वय कर कार्यक्रम को आयोजित कराना। कार्यक्रम की मॉनीटरिंग; प्रचार प्रसार, समन्वय, रिपोर्टिंग आदि करना।

(iii) नगरीय निकाय स्तर की समिति

1. कलेक्टर (नगर निगम/नगर पालिका हेतु) / अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (नगर परिषद हेतु)	- अध्यक्ष
2. आयुक्त नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर परिषद हेतु)	- सदस्य सचिव
3 विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी	- सदस्य
[redacted] कलेक्टर / अनु.अधि. राजस्व / आयुक्त (न.पा.) द्वारा नामांकित अन्य सदस्य	-सदस्य

इस समिति के द्वारा नगरीय क्षेत्र के लिए आई.ई.सी वेन का तिथिवार रूटचार्ट एवं कार्यक्रमों का निर्धारण कर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा विकासखण्ड स्तरीय समिति से समन्वय कर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा । कार्यक्रम की मॉनीटरिंग, प्रचार प्रसार, समन्वय, रिपोर्टिंग आदि का कार्य नगरीय निकाय समिति के द्वारा किया जाएगा ।

(iv) जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति :

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	- अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	- सदस्य सचिव
3. विकास विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारी	- सदस्य
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नामांकित अन्य सदस्य	- सदस्य

ग्राम पंचायत हेतु समिति :

1. सरपंच संबंधित ग्राम पंचायत	- अध्यक्ष
2. सचिव संबंधित ग्राम पंचायत	- सदस्य सचिव
3. विकास विभागों के समस्त पंचायत स्तरीय अधिकारी	- सदस्य

नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत समिति के द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना, प्रचार प्रसार, जनजागरूकता करना, विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराना, आवेदन पर हितलाभ कराना। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, समन्वय, रिपोर्टिंग आदि करना।

संबंधित समितियों के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किये जा सकेंगे।

6. अन्य विभागों की सहभागिता

(i) **राज्य शासन के अन्य विभाग:** उक्त योजनाओं के साथ साथ शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को लाभांवित किया जावेगा इस हेतु संबंधित विभाग नगरीय/ग्रामीण गतिविधियों को चिन्हित कर जिला कार्यक्रम में सम्मलित करायेंगे। कार्यक्रम स्थल पर निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जायेगी।

a. यात्रा वेन के चयनित स्थानों में उक्तानुसार आयोजनों में मुख्य रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी निर्दिष्ट विभागों के द्वारा अपने-अपने स्तर से अलग-अलग लाभार्थियों/आमजन की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। इन कार्यक्रमो में निम्न विवरण के अनुसार प्रकार के स्टाल भी लगवाये जायेंगे।

b. पेंशन योजनाओं का स्टाल - इसके अन्तर्गत पेंशन यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि से सम्बन्धित समस्त विभाग एक स्टाल पर संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे और आम जनमानस की शंकाओं का निवारण कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभांन्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे।

c. स्वास्थ्य मेला- इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त इकाइयों द्वारा एक स्टाल पर उपस्थित रहकर, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराई जायेंगी एवं विशेष रूप से टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, आयुषमान भारत कार्ड आदि कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

d. कृषि से सम्बन्धित स्टाल इसके अन्तर्गत कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य समस्त विभागों के साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों, उर्वरक/बीज/पेस्टिसाइड विक्रेताओं आदि का संकलित रूप से स्टाल लगाया जायेगा जहां से कृषकों को समन्वित रूप से कृषकहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी एक मंच से प्राप्त हो सकेगी। स्टाल के माध्यम से इच्छुक कृषकों को योजना से लाभान्वित किये जाने की भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु उनके आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

e. स्वयं सहायता समूहों के स्टाल इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं सरकारी विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को देय लाभ के बारे में प्रचार-प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

f. बैंकिंग क्षेत्र का स्टाल इसके अन्तर्गत अग्रणी जिला प्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक द्वारा समन्वित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों / निजी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों का स्टाल लगाते हुए कृषकों एवं आम जनमानस की बैंक से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जायेगा। इस पर जनसेवा केन्द्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी।

g. आदिवासी विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का स्टॉल लगाया जावेगा, जिसमें आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकलव्य स्कूल आदि की जानकारी का प्रदर्शन किया जावेगा।

इस यात्रा में शामिल विभागों के द्वारा अपने स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जावेंगे तथा मॉनीटरिंग/समीक्षा की जावेगी, जिसकी समीक्षा राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी।

(ii) भारत सरकार के उपक्रम /संस्थाएं :

भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित भारत सरकार के उपक्रम/संस्थाओं के द्वारा "विकसित भारत संकल्प यात्रा" में सहभागिता की जावेगी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जावेगी।

7. यात्रा हेतु फोकस/चयनित योजनाएं :

अभियान में भारत सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को अभियान में सम्मिलित किया गया है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में सम्मिलित योजनायें :-

a. आयुष्मान भारत - PMJAY
b. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
c. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
d. पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
e. पीएम उज्ज्वला योजना
f. पीएम विश्वकर्मा योजना
g. पीएम किसान सम्मान निधि योजना
h. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
i. पीएम पोषण अभियान
j. हर घर जल - जल जीवन मिशन
k. गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व)
l. जनधन योजना
m. जीवन ज्योति बीमा योजना
n. सुरक्षा बीमा योजना
o. अटल पेंशन योजना
p. पीएम प्रणाम योजना
q. नैनो उर्वरक का उपयोग
r. स्वाइल हैल्थ कार्ड
s. उन्नत कृषि यंत्र

(ii) शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में सम्मिलित योजनायें:

a. पीएम स्वनिधि योजना
b. पीएम विश्वकर्मा योजना
c. पीएम उज्ज्वला योजना
d. पीएम मुद्रा लोन योजना
e. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया
f. आयुष्मान भारत - PMJAY
g. पीएम आवास योजना (शहरी)

08.xii.23

h. स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)
i. उजाला योजना
j. अमृत योजना
k. पीएम जन औषधि परियोजना
l. सौभाग्य योजना
m. डिजिटल भुगतान अधोसंरचना
n. खेलो इंडिया
o. आरसीएस: उड़ान
p. वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना

8. मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग :

(i) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के स्तर से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सम्बन्ध में एक आईटी प्लेटफार्म (वेब आधारित पोर्टल) https://viksitbharatsankalp.gov.in भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर पर लॉग इन बेस्ड यूजर बनाया गया है। पोर्टल से तिथिवार आयोजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन, वैन के रूट चार्ट आयोजन हेतु निर्धारित गतिविधियों के अपलोड करने एवं उनके अनुश्रवण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(ii) पोर्टल पर लॉगिन एवं पासवर्ड भारत सरकार द्वारा जिला अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) पोर्टल के उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जिला अधिकारी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iv) कलेक्टर द्वारा पोर्टल हेतु जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा जिले अन्य अधिनस्थ पोर्टल में जानकारी अपलोड करने हेतु नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(v) पोर्टल पर यात्रा का रूटचार्ट एवं तिथिवार कार्यक्रम पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों के फोटोग्राफ, वीडियो, प्रगति को प्रतिदिन अपलोड करना होगा।

(vi) भारत सरकार एवं पी.एम.ओ द्वारा इस यात्रा की मॉनीटरिंग/ समीक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी आधारित की जावेगी। अतः पोर्टल पर जानकारी अनिवार्यतः अपलोड की जावे।

9. **वित्तीय व्यवस्थाः** इस यात्रा के आयोजन हेतु यथावश्यक धनराशि की व्यवस्था कलेक्टर द्वारा जिला/जनपद एवं नगरीय निकाय स्तर पर उपलब्ध स्रोतों से की जायेगी।

08.xii.23

(दिलीप कुमार कापसे)
उप सचिव
म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक: एफ 19- 54/2023/1/4

भोपाल, दिनांक 08/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महामहिम राज्यपाल, म.प्र. राजभवन भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव म.प्र. शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र. शासन।
5. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार नई-दिल्ली।
6. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल।
7. आयुक्त जनसम्पर्क, संचालनालय भोपाल।

08.XII.23

उप सचिव
म.प्र. शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट -एक

जिले को प्रदाय आईईसी वैन की संख्या की जानकारी

S. No.	District name	No of Vans	Large Vans for Urban areas	Small Vans for Rural areas
1	SINGRAULI	5	2	3
2	SIDHI	7	3	4
3	SHAHDOL	6	3	3
4	BALAGHAT	10	4	6
5	ANUPPUR	4	2	2
6	DINDORI	6	3	3
7	MANDLA	7	3	4
8	UMARIA	3	1	2
9	REWA	12	5	7
10	KATNI	7	3	4
11	JABALPUR	8	4	4
12	SEONI	9	4	5
13	SATNA	10	4	6
14	PANNA	7	3	4
15	DAMOH	7	3	4
16	NARSINGHPUR	7	3	4
17	BETUL	9	4	5
18	BHOPAL	7	3	4
19	SAGAR	13	5	8
20	SEHORE	9	4	5
21	VIDISHA	9	4	5
22	RAISEN	8	3	5
23	HOSHANGABAD	7	3	4
24	HARDA	4	2	2
25	CHHINDWARA	12	5	7
26	BURHANPUR	4	2	2
27	EAST NIMAR (Khandwa	7	3	4
28	INDORE	6	3	3
29	KHARGONE	11	4	7
30	JHABUA	8	3	5
31	BARWANI	9	3	6
32	UJJAIN	10	4	6
33	AGAR MALWA	4	2	2
34	ASHOKNAGAR	5	2	3
35	SHAJAPUR	5	2	3
36	SHEOPUR	3	1	2
37	SHIVPURI	8	3	5
38	TIKAMGARH	5	2	3
39	BHIND	7	3	4
40	GUNA	6	3	3
41	GWALIOR	4	2	2
42	MORENA	7	3	4
43	MANDSAUR	7	3	4
44	DATIA	4	2	2
45	NEEMUCH	3	1	2
46	NIWARI	2	1	1
47	CHHATARPUR	8	3	5
48	RAJGARH	10	4	6
49	RATLAM	7	3	4
50	DEWAS	7	3	4
51	DHAR	12	5	7
52	ALIRAJPUR	4	2	2
	Total	365	155	211

लक्ष्मण भटनागर
उप सचिव
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि वि